न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत दीनदारपुरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2014/206 दायरा दिनांक **01.10.2014**

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामपाल पुत्र रिछपाल जाति ब्राहाम्ण आचारी निवासी :– फोगडी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. पूरणमल पुत्र रिछपाल 2. पार्वती पत्नि रिछपाल 3. बंशी पुत्र श्योराम 4. दीपा पुत्र श्योराम 5. बजरंगलाल पुत्र बनवारीलाल 6. नन्दलाल पुत्र बनवारीलाल 7. सायरीदेवी पत्नि बनवारीलाल 8. रामेश्वरलाल पुत्र जगदीश प्रसाद 9. तिलोकाराम पुत्र जगदीश प्रसाद प्रतिवादी संख्या 08, व 09 नाबालिक जरिये कुदरति वलिया माता चुकादेवी 10. चुकादेवी पत्नि जगदीशप्रसाद 11. हनुमानराम पुत्र हजारीराम समस्त जाति ब्राहाम्ण आचारी निवासी :– फोगडी तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। 12. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित–

1. वादी उपस्थित ।
2. प्रतिवादी संख्या एक उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक **13.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है किं मौजा फौगडी के खेत ख. न. 46 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा ख. न. 82 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा ख. न. 98 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा बारानी द्वितीय कुल 34 बीघा 01 बिस्वा तथा मौजा पावटा की शरहद में खेत ख. न. 114 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा अवस्थित है,जो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 11 की खातेदारी सुदा है। नकल खतौनीयॉ प्रमाणित संलग्न है।वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का हित एक ही है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

मौजा फौगडी के खेत ख. न. 82 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा वादी रामपाल प्रतिवादी संख्या एक तथा प्रतिवादी संख्या 02 के बन्ट व हक में तथा इसी अनुरूप कब्जा–काश्त करते आ रहे है। मौजा फौगडी के खेत ख. न. 46 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवम् ख. न. 98 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि का बन्ट प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 के कब्जे–काश्त में चले आ रहे है।तत्पश्चात मौजा पावटा की शरहद में खेत ख. न. 114 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा में बन्ट प्रतिवादी संख्या 05, 06, 07 के 05 बीघा 05 बिस्वा तथा प्रतिवादी संख्या 08, 09, व 10 के 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि का बन्ट एवम् प्रतिवादी संख्या 11 के हक बन्ट की 10 बीघा 09 बिस्वा पर सींव–निंव कायम कर मौखिक बन्टवारा करके कायम रखे हुए है।तथा इसी अनुरूप बन्टवारा कराना चाहते है।तथा उपरोक्तानुसार ही खातेदारी कायम की जाना आवश्यक है।तथा मौजा फौगडी के खेताय खसरा नम्बर 46, 98, 82, में से खातेदारी में के नाम प्रतिवादी सं0 05, 06, 07, 08, 09,10, का हटाया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्ती की (करवाई) जाना आवश्यक होने से वाद घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु पेश किया जा रहा है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 11 वाद के पैरा संख्या 02 अनुरूप ही काबिज चले आ रहे है तथा उक्त अनुसार ही बन्टवारा कराना चाहते है तथा मौजा फौगडी में खसरा नम्बर 82, 46, 98, में से प्रतिवादी संख्या 05 ता 10 की खातेदारी को हटाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 के नाम की घोषणा की जावें तथा वादी खेत खसरा नम्बर 114 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा मौजा पावटा में किसी प्रकार से रद्दो–बदल नही करवाना चाहता है।

प्रार्थना वादी है कि

मौजा फौगडी के खेत ख. न. 82 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 के नाम से तथा मौजा फौगडी के खेत ख. न. 46 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवम् ख. न. 98 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 के हक बन्ट की घोषित की जावें एवम् मौजा पावटा की शरहद में स्थित खेत ख. न. 114 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा मे से 05 बीघा 05 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 05, 06, 07 के हक की है तथा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 08, 09, व 10 के हक बन्ट की है,एवम् 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 11 के हक बन्ट की है कि खातेदारी की घोषणा की जावे।

मौजा फोगडी के खसरा नम्बर 82, 46, 98, में से प्रतिवादी संख्या 05 ता 10 का नाम हटाकर रिकॉर्ड दुरूस्ती फरमाया जावें।उपरोक्त खसरा नम्बर में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 का ही हक बन्ट है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 12 को वास्ते जवाबदेही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

दिनांक 11.12.2014 को प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 व 12 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 व 12 बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षिये कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी व प्रतिवादी संख्या एक कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत दीनदारपुरा में उपस्थित हुय और दावा डिग्री किये जाने का निवेदन किया।वर्तमान स्थिति की जॉच मजमे आम में की गई।

वादी व मजमे आम मौतबीरान को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा फौगडी के खेत ख. न. 82 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 के नाम से तथा मौजा फौगडी के खेत ख. न. 46 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवम् ख. न. 98 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 के नाम से एवम् मौजा पावटा की शरहद में स्थित खेत ख. न. 114 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा मे से 05 बीघा 05 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 05, 06, 07 के नाम से तथा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 08, 09, व 10 के नाम से ,एवम् 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 11 के नाम की खातेदारी घोषित की जाती है।तथा मौजा फोगडी के खसरा नम्बर 82, 46, 98, में से प्रतिवादी संख्या 05 ता 10 का नाम हटाया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावे।तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **13.06.2017** को कोर्ट कैम्प दीनदारपुरा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिग्री बमुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 2014/206 दायरा दिनांक 01.10.2014

वादी		प्रतिवादीगण
1 रामपाल पुत्र रिछपाल जाति ब्राह्मण आचारी निवासी :- फोगडी तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. पूरणमल पुत्र रिछपाल 2. पार्वती पत्नि रिछपाल 3. बंशी पुत्र श्योराम 4. दीपा पुत्र श्योराम 5. बजरंगलाल पुत्र बनवारीलाल 6. नन्दलाल पुत्र बनवारीलाल 7. सायरीदेवी पत्नि बनवारीलाल 8. रामेश्वरलाल पुत्र जगदीश प्रसाद 9. तिलोकाराम पुत्र जगदीश प्रसाद प्रतिवादी संख्या 08, व 09 नाबालिक जरिये कुदरति वलिया माता चुकादेवी 10. चुकादेवी पत्नि जगदीशप्रसाद 11. हनुमानराम पुत्र हजारीराम समस्त जाति ब्राह्मण आचारी निवासी :- फोगडी तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान। 12. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 13.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी व श्री, प्रतिवादीगण की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, मौजा फौगडी के खेत ख. न. 82 रकबा 22 बीघा 03 बिस्वा की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 के नाम से तथा मौजा फौगडी के खेत ख. न. 46 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा एवम् ख. न. 98 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 के नाम से एवम् मौजा पावटा की शरहद में स्थित खेत ख. न. 114 रकबा 20 बीघा 19 बिस्वा मे से 05 बीघा 05 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 05, 06, 07 के नाम से तथा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 08, 09, व 10 के नाम से ,एवम् 10 बीघा 09 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 11 के नाम की खातेदारी घोषित की जाती है।तथा मौजा फोगडी के खसरा नम्बर 82, 46, 98, में से प्रतिवादी संख्या 05 ता 10 का नाम हटाया जाकर

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी की जावे।तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.................. ..–...................खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **13.06.2017** को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा फर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा फर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner